न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

नि-3525-2016

प्र.क्र.   /2016

लाखन सिंह पिता जसबंत सिंह यादव
निवासी-ग्राम खजरा हडचंद तहसील खुरई
जिला सागर म.प्र.   ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन   ....रेस्पोन्डेंट

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि :-

1. यहकि, तहसीलदार खुरई के राजस्व प्रकरण क्रमांक 229बी/121 वर्ष 2014 में प्रतिवेदन दिनांक 20.10.2014 द्वारा आवेदक के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 112/1 में बिना विधिक अधिकार के रिकॉर्ड दुरूस्ति प्रस्तावित की जिसे अनुविभागीय अधिकारी खुरई प्रकरण क्रमांक 334 बी./121/2013-14 में अपर कलेक्टर महोदय सागर के समक्ष उक्त आलोच्य रिकॉर्ड दुरूस्ती प्रकरण अग्रेसित किया जिसे अपर कलेक्टर सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2014-15 में सुनवाई में लेकर दिनांक 18.12.2014 को उभयपक्षों को आहूत के लिये नियत किया एवं दिनांक 12.02.2015, 19.02.2015 और 05.03.2015, 20.03.2015, एवं 15.05.2015 में सुनवाई में लिये जाकर प्रकरण इस निर्देश के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निग.- 3525-एक/2016 जिला-सागर

लाखन सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार खुरई, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक- 229/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार, जिला-सागर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	

होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.04.19

(आर.के. जैन)

सदस्य